हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
'सामान्य प्रशासन शाखा'

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की प्रथम विशेष बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 6 जून, 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1– श्री डी.डी. शर्मा, विशेष सचिव (वित्त), हि0प्र0 सरकार
2– श्री नरेश ठाकुर, संयुक्त सचिव (शिक्षा), हि0प्र0 सरकार
3– डॉ0 अमर देव, निदेशक(उच्च शिक्षा), हि0प्र0 शिमला
4– आचार्य श्याम लाल कौशल, अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय
5– आचार्य एस.के. महाजन, अधिष्ठाता समाज–विज्ञान संकाय
6– आचार्य एस.एस. कंवर, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग
7– श्री बिपन कुमार, प्रतिनिधि गैर–शिक्षक कर्मचारी
8– आचार्य एन.के. शारदा, नामिती माननीय कुलाधिपति
9– आचार्य वी.पी. शर्मा, नामिती माननीय कुलाधिपति
10– श्री अजय श्रीवास्तव, सह–आचार्य, पत्रकारिता विभाग (इक्डोल),
11– श्री के.के. शर्मा, हि.प्र.से.

–कुलसचिव
सदस्य–सचिव

मद संख्या–1: **कुलपति महोदय का वक्तव्य।**

.....

कुलपति महोदय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की प्रथम विशेष बैठक में सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

उन्होंने विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् के आचार्य एल.एल. कौशल अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय, श्री अजय श्रीवास्तव, सह-आचार्य, श्री आशिथ कुमार मिश्रा, प्राचार्य एवं गैर-शिक्षक कर्मचारी चुनाव क्षेत्र से श्री विपन कुमार का कार्यकारिणी परिषद् में नामित/निर्वाचित होने पर बधाई दी।

इसके साथ ही उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य रहे आचार्य कुलबंत पठानिया, आचार्य वाई.के. शर्मा, श्री वी.एस. नेगी, श्री कमलकांत, प्राचार्य तथा श्रीमती राजकुमारी का परिषद् को दिए गए सकारात्मक सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया।

उन्होंने परिषद् को अवगत कराया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:-

1. दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को पर गो कम्पनी के साथ समिति कक्ष में बैठक आयोजित की गई।
2. दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को भूगोल विभाग द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई।
3. दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई।
4. दिनांक 1 मई, 2018 को जीवनवृत उन्नति योजन के तहत विदेशी भाषा विभाग के साक्षात्कार आयोजित किए गए।
5. दिनांक 1 मई, 2018 को विश्वविद्यालय के पुराने छात्रों को स्नातक के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
6. दिनांक 2 मई, 2018 को अनुभाग अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की पदोन्नति हेतु आर. पी.सी. की बैठक आयोजित की गई।
7. दिनांक 14 मई, 2018 को प्रयोगशाला कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु आर.पी.सी. की बैठक आयोजित की गई।
8. दिनांक 14 मई, 2018 को नवाचार प्रतिवेदन तैयार करने के लिए समिति कक्ष में विभागाध्यक्षों, अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।

9. दिनांक 15 मई, 2018 को विश्वविद्यालय कुलपति टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ जिसमें नौ टीमों ने भाग लिया और इसमें हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने ट्रॉफी पर कब्जा किया।
10. दिनांक 15 मई, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की बैठक आयोजित की गई।
11. दिनांक 21 मई, 2018 को अनुभाग अधिकारी से नीचे पदों पर कार्यरत्त कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु आर.पी.सी. की बैठक आयोजित की गई।
12. दिनांक 28 मई 2018 को परियोजना नियन्त्रण (रूसा) हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।
13. दिनांक 4 जून, 2018 को विश्वविद्यालय यातायात एवं पार्किंग को विनियमित करने हेतु एक बैठक विभागाध्यक्षों, कर्मचारियों, यूनियनों के साथ आयोजित की गई।
14. यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र में उन्मुखी एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापक भाग ले रहे हैं।

तदोपरांत उन्होंने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे इस बैठक की प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2: **भर्ती एवं पदोन्नति समिति की अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए दिनांक 2–5–2018 को अपराह्न 2:00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति समिति की दिनांक 02.05.2018 को हुई बैठक की कार्यवाही को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों (श्रेणी–बी) के लिए भर्ती एवं पदोन्नति समिति (यों) की कार्यवाही को अनुमोदित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया ताकि ऐसे मामलों में पदोन्नति में अनावश्यक बिलम्ब न हो। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो कुलसचिव विश्वविद्यालय के संबधित अध्यादेश में संशोधन हेतु मद पूर्ण तथ्यों सहित परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करें।

मद संख्या–3: **कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मद संख्या–4 दिनांक 17–4–2017 को लिए गए निर्णय के अनुरूप आचार्य सुनील देष्टा विधि विभाग द्वारा उपभोग किए गए असाधारण अवकाश (बिना वेतन के)को लोकहित में परिवर्तित करने एवम् तदानुसार वित्तीय लाभ प्रदान करने की अवधि को परिशोधन हेतु कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के संदर्भ में।**

....

कार्यकारिणी परिषद् ने आचार्य सुनील देष्टा, विधि विभाग के पक्ष में मद संख्या–4 दिनांक 17–04–2017 द्वारा 8–6–2006 से 7–6–2009 तक स्वीकृत असाधारण अवकाश (बिना वेतन) की अवधि को संशोधित कर दिनांक 8–6–2006 से 18–8–2006 तक लोक हित में परिवर्तित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–4: **वास्तुकार वेतनमान रू0 15600–39100+7600 (ग्रेड पे)के पद पर पदोन्नति का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुशंसा हेतु प्रस्तुत।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वास्तुकार वेतनमान रू015600–39100+7600 (ग्रेड पे) के पद पर पदोन्नति के मामले पर विस्तार से चर्चा उपरांत मामले में नियमानुसार निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद संख्या–5: **दो राजकीय महाविद्यालय शिलाई एवं झंडुता को निरीक्षण समिति की सिफारिशानुसार स्थायी संबद्धता प्रदान करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने **संलग्नक** निरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजकीय महाविद्यालय शिलाई जिला सिरमौर एवं झंडुता जिला बिलासपुर को स्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–6: **Exemption from the payment of Inspection/affiliation fee as per instructions of the Govt. affiliated Colleges charged from the Govt. affiliated Colleges.**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर चर्चा के उपरांत इसे स्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–7: **कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 24–02–2018 को गठित समिति की रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने के.एल.बी. डी.ए.बी. महाविद्यालय पालमपुर में शैक्षणिक सत्र 2016–2017 व 2017–2018 में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के प्रवेश में पाई गई अनियममितताओं की जांच के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उक्त महाविद्यालय में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में अपने स्तर पर दिए गए प्रवेश को नियमित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने महाविद्यालय द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विश्वविद्यालय को देय उद्ग्रहण प्रभार (Levy Charges) रू0 1,60,000/– को व्याज सहित अदा करने तथा नियमों के विरूद्ध प्रदान किए गए प्रवेश पर रू0 1–00 लाख जुर्माना अदा करने का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त महाविद्यालय को लिखित निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में नियमों के विरूद्ध प्रवेश प्रक्रिया अमल में न लायी जाए।

मद संख्या–8: **कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विदेशी भाषा विभाग में सह–आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे।**

.....

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशों को परिषद् में प्रस्तुत किया, सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं:–

जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत आचार्य, विदेशी भाषा विभाग (रसियन) हि.प्र.वि. शिमला–5

डॉ0 श्यामा जोशी, सह–आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत आचार्य के पद पर दिनांक 01–08–2017 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

मद संख्या–9: **माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण में विधिक मामलों के निपटारे हेतु विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकारों की नियुक्ति का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने प्रदेश सरकार के विधि विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के लिए अधिवक्ताओं के जारी पैनल, नियुक्ति हेतु लगाई गई शर्तों एवं उन्हें देय निर्धारित शुल्क के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना संख्या:16–20/80–हि.प्र.वि.(सा.) खण्ड–9 दिनांक 18–5–2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण में नियुक्त विधिक सलाहकारों की नियुक्ति हेतु अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–10: **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पीएच.डी. /एम.फिल. उपाधि धारक छात्रों को पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु गठित समिति में सदस्य–सचिव उप–कुलसचिव (शैक्षणिक) के स्थान पर उप–कुलसचिव (अध्ययन) अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय को नामित करने हेतु मामला प्रस्तुत है।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि धारक छात्रों को पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु गठित समिति में उप कुलसचिव (शैक्षणिक) के स्थान पर उप कुलसचिव (अध्ययन) अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय को सदस्य–सचिव नामित करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या–11: **Place before the Executive Council the matter of nominaition of one member on the Finance Committee under Statute 14(i)(3) of the First Statutes of the Himachal Pradesh University for consideration and decision.**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम 14(i)(3) के अनुरूप कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य वित्त समिति में नामित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद संख्या–12: **डॉ० मृदुला शारदा, सहायक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र द्वारा जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत सह आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु एवं वेतन संरक्षण हेतु किए गए निवेदन को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के संदर्भ में।**

.....

मद पर चर्चा से पूर्व बैठक में उपस्थित आचार्य एन.के. शारदा ने सूचित किया कि उनका **डॉ0 मृदुला शारदा, सहायक आचार्य** से नजदीकी रिश्ता है

जिसके फलस्वरूप वह इस मद पर चर्चा हेतु उपस्थित नहीं रहना चाहते तथा इस आशय बारे अध्यक्ष की अनुमति के उपरांत बैठक कक्ष से बाहर चले गए।

तदोपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा की के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा डॉ० मृदुला शारदा, सहायक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र के पक्ष में वेतन संरक्षण करने हेतु निम्न निर्णय लियाः–

a)	Pay drawn in the pay band of Rs. 37400-67000+Rs.9000 AGP immediately before joining this University as on 29.09.2016	Rs.55,640/- (Rs.46640/-+Rs.9000/- AGP
b)	Date of joining this University as Assistant Professor in the pay band of Rs.15600-39100+Rs.6000 AGP	30.09.2017(FN)
c)	Pay required to be protected in the pay band of Rs.15600-39100+Rs.6000 AGP as on 30.09.2016.	Rs.39100+Rs.6000/- +Rs.10540/- (Rs.7540+Rs.3000 AGP) as personal pay to be absorbed in future increments.

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि डॉ0 मृदुला शारदा, सहायक आचार्य की सह–आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु मामला सम्बन्धित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

उक्त निर्णय के उपरान्त आचार्य एन.के. शारदा पुनः अन्य मदों पर चर्चा व निर्णय हेतु बैठक में उपस्थित हुए।

मद संख्या–13: **आचार्य प्रकाश चंदेल वाणिज्य विभाग, सांध्यकालीन अध्ययन केंद्र द्वारा स्नातकोतर केंद्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थायी तौर पर पद सहित सम्बिलीन करने हेतु किया गया निवेदन कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के संदर्भ में।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले के परीक्षण हेतु पूर्व में गठित समिति को निरस्त करते हुए नई समिति के गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद संख्या–14: **कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 29.03.2018 को मद संख्या–9 के अंतर्गत गठित समिति की दिनांक 04.05.2018 को हुई कार्यवाही रिर्पोट कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वैद्य शंकर लाल मैमोरियल शिक्षा महाविद्यालय के दो छात्रों की बी.एड. उपाधियों को निरस्त करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर आपत्ति व्यक्त की कि समिति द्वारा न ही सम्बन्धित महाविद्यालय में जाकर अभिलेख की जांच पड़ताल की गई तथा न ही सदस्य–सचिव उप–कुलसचिव (शैक्षणिक) द्वारा आवश्यक दस्तावेजात हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग से प्राप्त करने की चेष्टा की जिससे अकारण मामले में बिलम्व हुआ। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि कुलसचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग से मामले में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर समिति को उपलब्ध करवाए जाएंगे। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि गठित समिति द्वारा महाविद्यालय का दौरा कर तथा मामले में गहन छानबीन व परीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

मद संख्या–15: **To place before the Executive Council the matter regarding Application of G.S.T. on Higher Education i.e. Affiliation fee, Inspection fee etc.**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 01–04–2012 से 30–6–2017 तक किराये के रूप में प्राप्त आय व उस पर 18 प्रतिशत व्याज की दर से वस्तु एवं सेवा कर(GST) राशि रू0 15,47,822/–, वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय चण्डीगढ़ में जमा करवाने हेतु अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से पूर्व सेवा कर आदि के सभी सम्बन्ध विषयों/प्रकरणों

को वित्त अधिकारी सम्पूर्ण गहनता से विधिनुसार/नियमानुसार परीक्षण व अनुमोदन सहित कुलसचिव के माध्यम से कार्रवाई की जाए। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय एक कल्याणकारी संस्था है अतः विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखने के लिए मामला वस्तु एवं सेवा कर समिति (GST Council) के समक्ष छूट हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्रदेश सरकार से उठाया जाए।

मद संख्या–16: **Place before the Executive Council the matter of conduct of special supplementary examination for Afghan Students to clear their re-appear examination of BBA first, third and fifth semester.**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तृत चर्चा के उपरांत अफगानिस्तान छात्रों के लिए बी.बी.ए. प्रथम, तृतीय एवं पांचवें समैस्टर में विशेष प्रकरण के तौर पर विशेष परीक्षाएं आयोजित करवाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य के लिए इसे परम्परा नहीं माना जाएगा।

मद संख्या–17: डॉ0 शक्ति कपूर, सहायक आचार्य, विदेशी भाषा विभग द्वारा उपभोग की गई असाधारण अवकाश (बिना वेतन) अवधि के परिशोधन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने हेतु किए गए निवेदन को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के संदर्भ में।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ0 शक्ति कपूर, सहायक आचार्य विदेशी भाषा विभाग द्वारा दिनांक 15–03–2013 से 09–12–2015 तक उपभोग की गई असाधारण अवकाश (बिना वेतन) को उनके द्वारा किए गए शोध कार्य के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अध्यादेश 36.1(b) के अंतर्गत नियमित रूप में परिवर्तन करने तथा उन्हे उक्त अवधि के अंतराल में अर्जित होने वाले वित्तीय लाभ एवं

वार्षिक वेतन बृद्धियां अनुमानतः (Notionally) आधार पर प्रदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

.....

यथा–स्थान की गई चर्चाः

सदस्य श्री अजय श्रीवास्तव ने कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष यह मामला उठाया कि विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए जारी दिशा–निर्देशों को लागू नहीं किया गया।

उनके द्वारा प्रस्तुत विषय पर कुलसचिव ने सूचित किया कि दिव्यांग छात्रों के सर्वांगीण व समुचित कल्याण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में रूकावट विहीन रास्तों की सुविधा, पुस्तकालय में बैठने की उचित व्यवस्था, आई.टी. हार्डवेयर व सॉफटवेयर उपलब्ध करवाने, शैक्षणिक भवनों व छात्रावासों में उपयुक्त शौचालय व्यवस्था व उन्हें शैक्षणिक परिसर से छात्रावास व वापसी हेतु समर्पित वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाने प्रारम्भ कर दिए हैं तथा भविष्य में भी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। इस आशय पर कुलपति महोदय द्वारा विस्तृत मद तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु आश्वस्त किया।

आचार्य एस.के. महाजन ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द में निदेशक की नियुक्ति का मामला उठाया उन्होंने कहा कि उक्त केन्द्र में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा वर्ष 1991 में लिए गए निर्णयानुसार वरिष्ठतम आचार्य को ही निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए। जिस पर कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 27–9–2008 को हुई बैठक में मद संख्या–11 के अंतर्गत विभिन्न विभागों/संस्थानों में निदेशकों/समन्वयकों की नियुक्ति

के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया है तथा तदानुसार उक्त केन्द्र में निदेशक की नियुक्ति की गई है।

सदस्य श्री बिपन कुमार ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद् के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में 01जनवरी, 2016 से गैर–शिक्षक कर्मचारियों की सेवानिवृति के अवसर पर आयोजित होने वाले **मुक्त–मंच** के आयोजन की ओर कार्यकारिणी परिषद् का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सूचित किया कि यद्यपि इस प्रकार का निर्णय एक स्वस्थ परम्परा के रूप में मनाया जाता रहा है परन्तु विश्वविद्यालय में अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए एवं विदाई समारोह में होने वाली अनावश्यक देरी को मध्यनजर रखते हुए उन्होंने इस परम्परा को समाप्त करने का आग्रह किया। जिस पर विस्तृत चर्चा उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

सदस्य श्री बिपन कुमार ने अनुभाग अधिकारी व सहायक कुलसचिव के वेतनमान में उत्पन्न वेतन विसंगतियों के प्रकरण को उठाया और परिषद् को सूचित किया कि उक्त अधिकारियों के वेतन विसंगति के प्रकरण वित्त समिति के समक्ष दो बार प्रस्तुत करने पर भी वित्त समिति द्वारा मामले में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया है उन्होंने सूचित किया कि चूंकि यह मामला वर्ष 2012 से लम्बित है और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें दिनांक 01–01–2016 से लागू की जानी आपेक्षित हैं अतः उन्होंने परिषद् से आग्रह किया कि प्रकरण के समुचित समाधान हेतु वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

इसके अतिरिक्त श्री बिपन कुमार ने यह भी सूचित किया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लगभग 200 पद रिक्त पड़े हैं जिससे विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई आ रही है और छात्रों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान नहीं हो पा रही हैं। अतः उन्होंने आग्रह किया कि गैर–शिक्षक कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के रिक्त

पड़े पदों के विरूद्ध जैसे अनुभाग अधिकारी से सहायक कुलसचिव, सहायक कुलसचवि से उप कुलसचिव, उप कुलसचिव से योजना एवं विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक के पद, कनिष्ठ से वरिष्ठ सहायक एवं सेवादार के पद से लिपिक के पद पर विश्वविद्यालय के सम्बन्धित श्रेणियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एकमुश्त छूट देकर पदोन्नति प्रदान की जाए।

इसके अलावा श्री बिपन कुमार ने विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में छात्र निधि के अंतर्गत कार्यरत मैस हैल्परों एवं रसोइयों की सेवाओं को विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी के रिक्त पड़े पदों के विरूद्ध उनकी सेवाओं को नियमितीकरण अथवा अनुबन्ध आधार पर लाने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया ताकि छात्रावासों में रह रहे छात्रों को वेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने सदस्य द्वारा उठाए गए उक्त प्रकरणों के समुचित समाधान हेतु वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

सदस्य आचार्य वी.पी. शर्मा ने विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केन्द्र में कार्यरत श्री राजेश कुमार, प्रयोगशाला तकनीशियन के नियमितीकरण का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि कुलसचिव मामले का निरीक्षण करवाकर नियमानुसार मामले में आगामी कार्रवाई करें।

सदस्य आचार्य एस.एस. कंवर ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित अनाधिकृत ढाबों/दुकानों का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा और कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में चलाए जा रहे इन ढाबों/दुकानों को हटाने के लिए मामला आयुक्त, नगर निगम शिमला, वन विभाग तथा पर्यावरण बोर्ड से उठाया जाए ताकि विश्वविद्यालय परिसर की सुन्दरता और महत्ता बनी रहे। सदस्य आचार्य कंवर द्वारा उठाये गए मामले पर कुलसचिव ने परिषद् को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिसर में नगर निगम व वन बिभाग को भूमि पर अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे ढाबे इत्यादि

के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु मुख्य अरण्यपाल (वन), आयुक्त, नगर निगम शिमला व निगम स्वास्थ्य अधिकारी को उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सूचित किया जा चुका है तथा पुनः इस मामले को लिखित तौर पर दृढ़ता से उठाया जाएगा।

सदस्य आचार्य एस.एस. कंवर ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में शिक्षकों, कर्मचारियों एव अन्य विभूतियों को प्रदान किए जाने वाले स्मृति–चिन्ह आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत समेकित रूप में क्रय भण्डार शाखा के माध्यम से खरीदे जाएं।

अन्त में कुलपति महोदय ने विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा सौंपे गए मॉग–पत्रों को मॉग–बार परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर परिषद् द्वारा विषयगत मामलों में चर्चा कर यथोचित उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद् प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

हस्ता0/–

(के.के.शर्मा) हि.प्र.से.
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान)
कुलपति/सभापति